पुनः चिन्हित किये जायें व श्रद्धालुओं को इनके उपयोग की आदत डालने के लिये जन-जागृति अभियान चलाये जायें ।

- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रनिबो, भोपाल को निर्देश दिये गये कि वे घाटों पर यथोचित स्थानों पर वाल पेंटिंग व होर्डिंग के माध्यम से जन-जागृति व जन-चेतना के लिये नदी को स्वच्छ रखने की सलाह व गंदा न करने की विधिक चेतावनी संदेश लिखवाये जायें ।
- सीएमओ होशंगाबाद को निर्देश दिये गये कि जानवरों का अनाधिकृत प्रवेश घाटों पर रोकने के लिये व्यवस्था की जाये ।
- सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद से शून्य निस्राव की योजना लागू करने के लिये कार्यवाही प्रारम्भ की जाये ।

नगर पंचायत डिडौरी अन्तर्गत नगर मे प्रतिदिन अपस्ट्रीम से लगभग 12 लाख लीटर पानी घरेलू कार्य हेतु उपयोग मे लाया जाता है तथा लगभग 8 लाख ली. घरेलू दूषित जल बगैर किसी उपचार नर्मदा नदी के डाउन स्ट्रीम निस्सारित कर दिया जाता है । नर्मदा नदी मे मिलने वाले दूषित जल उपचार ब्यवस्था न ही संचालित है और न ही प्रस्तावित है। नगर पंचायत डिडौरी से प्राप्त जानकारी अनुसार किसी भी प्रकार की घरेलू दूषित जल उपचार योजना /जल मल योजना शासन के पास प्रस्तावित नही है।

- जबलपुर में डायवर्शन का कार्य मार्च 12 तक पूर्ण होने की संभावना ।
- रुपये 47 लाख की लागत से 150 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के एसटीपी का निर्माण कार्य प्रगति पर । वर्ष 2011-12 में पूर्ण होने की संभावना ।
- नदी के स्नानघाट पर स्नान के समय साबुन, सेम्पू आदि के प्रयोग को प्रतिबंधित करने हेतु सी.एम.ओ. डिंडौरी को निर्देश दिये गये ।

जबलपुर में आयोजित बैठक का दृश्य

- क्षेत्रीय कार्यालय को स्नानघाटो पर ऐसे होर्डिंग जिसमे उक्त प्रतिबन्ध दर्शाये गये हो लगाने के निर्देश दिये गये।
- नर्मदा नदी की स्वच्छता बनाये रखने के लिये नदी मे मिलने वाले नालों को डायवर्ट कर उपचार उपरांत, उपचारित जल का सिंचाई मे

उपयोग किये जाने संबंधी योजना बनाकर लागू करने के निर्देश सी.एम.ओ. को दिये गये।

- श्रद्धालुओ की व्यवस्था हेतु सुलभ शौचालयों का निर्माण कराये जाने के भी निर्देश दिये गये।
- निरीक्षण दौरान जोगी टिकरिया पुल के पास नदी में वाहन धोने संबंधी थाना डिंडोरी में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।
- कलेक्टर डिण्डोरी द्वारा बताया कि यह बहुत छोटी नगर पंचायत है। इसके पास राजस्व

बोर्ड द्वारा प्रसारित सूचना का अवलोकन करता पत्रकार

कम है प्राधिकार तथा सम्मति लेने के बारे मे मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देश दिये। उपरोक्त के अतिरिक्त नवम्बर माह में महेश्वर, मण्डला एवं अमरकंटक का निरीक्षण अध्यक्ष, म. प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ समिति द्वारा किया जायेगा व वहां की पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिये भी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी । इस संबंध में समिति द्वारा नर्मदा से संबंधित और भी आंकड़ों का संकलन व उपलब्ध साहित्य की समीक्षा की जायेगी व यथासम्भव पर्यावरणीय सुधारों के लिये आवश्यकतानुसार परियोजना बनाकर उसे लागू करने का प्रयास किया जा सकेगा ।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस रिपोर्ट के माध्यम से सर्व संबंधितों को आश्वस्त करना चाहता है कि हम नर्मदा के प्रदूषण मुक्ति के लिये कृत संकल्पित हैं व पर्यावरणीय अधिनियमों में दिये गये दायित्वों से भी आगे जाकर नर्मदा नदी के पर्यावरणीय उन्नयन में अपना सहयोग प्रदान करेंगे । हम सभी भविष्य में भी हमारी पवित्र माँ नर्मदे के पर्यावरणीय उत्कृष्ट स्वरूप की कामना करते हैं ।

नर्मदा आरती

समाचार पत्रों से

5.50 करोड़ की लागत से सीवर लाइन का कार्य शुरू

नर्मदा का उद्गम होगा प्रदूषण मुक्त

नर्मदा बचाने बिल्डरों पर नकेल

प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन जरूरी

The Hitavada

MPPCB chalks out guidelines to manage of solid waste

दैनिक भास्कर 2
जबलपुर | शुक्रवार, 3 फरवरी, 2012

नर्मदा जी का मस्तक बनेगा प्रदूषणमुक्त

मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व बाबा कल्याणदास के मध्य बनी सहमति, आश्रम बनवाएगा एसटीपी

राज्य शासन और अमरकंटक स्थित कल्याणिका आश्रम के बीच वर्षों से चल रहा विवाद आज समाप्त हो गया। लम्हेटाघाट स्थित कल्याणिका तपोवन में अमरकंटक स्थित बाबा कल्याणदास आश्रम के संस्थापक बाबा कल्याणदास जी महाराज और मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच इस बात पर सैद्धांतिक सहमति बन गयी कि आश्रम के गंदे पानी को नर्मदा जी में नहीं मिलने दिया जायेगा।

कल्याणिका आश्रम लम्हेटाघाट में बाबा कल्याणदास जी को एसटीपी का मॉडल दिखाते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एनपी शुक्ला व अन्य अधिकारी। फोटो | संजय

भास्कर संवाददाता | जबलपुर

इसके लिये नर्मदा जी के विपरीत दिशा में आश्रम परिसर में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जायेगा, जिसके लिये प्रोजेक्ट और डिजाइन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उपलब्ध करायेगा, जबकि निर्माण स्वयं आश्रम के द्वारा कराया जायेगा। जिससे आश्रम में स्थित वनवासी स्कूल, हॉस्पिटल का गंदा पानी सीधे नर्मदा जी में नहीं मिलेगा। बाबा जी से आज स्वयं बोर्ड के अध्यक्ष एनपी शुक्ला ने वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सिंह की उपस्थिति में बातचीत की। इस मौके पर पूर्व महापौर सुशीला सिंह, बोर्ड के अधीक्षण यंत्री राकेश श्रीवास्तव, इंदौर के क्षेत्रीय अधिकारी अच्युदानंद मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी जबलपुर पीएस बुन्देला, सांवलदास खत्री आदि उपस्थित थे।

वर्षों पुराना झगड़ा खत्म हुआ

आश्रम और जिला प्रशासन के बीच वर्षों से इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। बोर्ड ने भी नोटिस दे रखे थे और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। लेकिन बोर्ड अध्यक्ष श्री शुक्ला के व्यक्तिगत प्रयासों से अब बड़ा मामला सुलट गया। श्री शुक्ला ने बताया कि यह हमारे लिये बड़ी उपलब्धि है और उन्होंने उम्मीद जतायी कि अब हम अमरकंटक की गंदगी को दूर करने में काफी हद तक सफल हो जायेंगे।

कैसे रोकेंगे सीवेज वाटर

बोर्ड अध्यक्ष श्री शुक्ला ने बाबाजी को बताया कि आश्रम के गंदे पानी को नर्मदा जी में मिलने से रोकने के लिये आश्रम में एक सम्पवेल का निर्माण कराया जायेगा, जहां आश्रम का सारा गंदा पानी एकत्र होगा। सड़क के दूसरी ओर नर्मदा जी से विपरीत दिशा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जायेगा। इस प्लांट में सम्पवेल से पानी लिफ्ट कर भेजा जायेगा, जहां पानी को ट्रीट किया जायेगा, फिर इस पानी का उपयोग सिंचाई व अन्य कार्यों में किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 30 लाख रुपये का खर्च आयेगा।

द्वेष व पक्षपातपूर्ण न हो कार्रवाई

हमने तो जीवन भर मां नर्मदा की साधना की है, मैं स्वयं चाहता हूं कि उसमें गंदगी न हो, लेकिन अब तक प्रशासन द्वारा द्वेषभाव और पक्षपात पूर्ण कार्रवाई की गयी, जिसके कारण मैं भी अड़ गया था। मैं सैद्धांतिक तौर पर इस प्रोजेक्ट से सहमत हूं और आप कल से ही काम शुरू करवा सकते हैं। मैं भी चाहता हूं कि मैया नर्मदा का मस्तक पहले साफ हो, इसके लिये पहल करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, यह मेरे लिये खुशी की बात है।

–बाबा कल्याणदास जी, संस्थापक, कल्याण आश्रम, अमरकंटक (फिलहाल जबलपुर प्रवास पर)

संरक्षकः डॉ० एन.पी. शुक्ला, अध्यक्ष संपादकः आर.के. जैन, सदस्य सचिव
संयोजकः श्री आर.के. श्रीवास्तव,अधीक्षण यंत्री, डॉ० अभय सक्सेना, मुख्य रसायनज्ञ,
श्री अजय मसारकर, सहायक जनसंपर्क अधिकारी
दूरभाषः 0755–2464428, फैक्सः 0755–2463742 बेवसाइट

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड